सं0 सं0-ई 0-ग 0/1/2020-SEC-2-UDHDDEPT

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,

सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में

महालेखाकार,

बिहार, पटना।

दिनांक-....................

विषय:-नगर विकास एवं आवास विभाग पटना अन्तर्गत ई 0-ऑफिस के कार्यान्वयन हेतु विभाग के पदाधिकारियों /कर्मचारियों का DSC निर्गत करने हेतु रू0 1,85,250.00 (एक लाख पचासी हजार दो सौ पचास रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 में e-Governance मद में सहायक अनुदान के रूप में व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत

नगर विकास एवं आवास विभाग पटना अन्तर्गत ई 0-ऑफिस के कार्यान्वयन हेतु DSC निर्गत करने हेतु विभाग के कुल- 78 पदाधिकारियों /कर्मचारियों का आवेदन प्राप्त हुआ है। उक्त कार्यो के लिए व्यय की जाने वाली राशि कार्यालय आदेश सं0-165 सहपठित ज्ञापांक-3518 दिनांक-23.03.2026 द्वारा 35 पदाधिकारियों/कर्मियों, कार्यालय आदेश सं0-174 सहपठित ज्ञापांक-4344 दिनांक-16.04.2026 द्वारा 10 पदाधिकारियों/कर्मियों, कार्यालय आदेश सं0-233 सहपठित ज्ञापांक-5704 दिनांक-22.05.2026 द्वारा 25 पदाधिकारियों/कर्मियों तथा कार्यालय आदेश सं0-277 सहपठित ज्ञापांक-6588 दिनांक-18.06.2026 द्वारा 08 पदाधिकारियों/कर्मियों की भुगतान की स्वीकृति दी गई है। उक्त कार्यो के लिए व्यय होने वाली राशि 2375.00 (दो हजार तीन सौ पचहत्तर रूपये) मात्र पदाधिकारी एवं कर्मी की दर से 78 पदाधिकारी एवं कर्मी का कुल राशि रू0 1,85,250.00 (एक लाख पचासी हजार दो सौ पचास रूपये) मात्र का भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में e-Governance मद में सहायक अनुदान व्यय के रूप में स्वीकृति दी जाती है।

2 उक्त कार्यो के लिए व्यय होने वाली राशि रू0 1,85,250.00 (एक लाख पचासी हजार दो सौ पचास रूपये) मात्र का भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561 दिनांक-17.04.1998 एवं पत्रांक-236 दिनांक-09.03.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जाएगी। उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बुडा के पी0 एल 0 खाता सं0-PBBPLA015, HOA संख्या-00-8448-00-120-0035-00-01 में CFMS के

माध्यम से Inter Departmental विधि से ऑनलाईन हस्तांतरित किया जायेगा। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। बुडा द्वारा उक्त राशि बेल्ट्रॉन को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध करा दी जायेगी।

3 वित्त विभाग के परिपत्र सं0-1496 दिनांक-22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी0 भी0 नम्बर एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकर, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

4 वित्त विभाग के संकल्प सं0-573 दिनांक-16.01.1975 एवं एम 04-15/2009 9736 दिनांक-19.10.2011 एवं बिहार कोषागार सहिता के नियम 271 के अनुसार सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं अंकेक्षण लेखा स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अन्दर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।

5 कुल स्वीकृति रू0 1,85,250.00 (एक लाख पचासी हजार दो सौ पचास रूपये) मात्र की निकासी मांग संख्या-48, मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-05-अन्य शहरी विकास योजनाएँ, लघु शीर्ष-001, निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष 0101-ई0-गवर्नेस/नगरीय सुधार कार्यक्रमो एवं इसके समतुल्य कार्यक्रमों हेतु विपत्र कोड-48-2217050010101, विषय शीर्ष-31-06 सहायक अनुदान और-गैर वेतन के अन्तर्गत की जाएगी।

6 वित्त विभाग के परिपत्र सं0-7355 वि (2) दिनांक-05.10.2007 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

7 आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0 ई0-ग/1/2020-SEC-2 UDHD DEPT के पृष्ठNode#76/टि0 पर दिनांक-19/06/2026 को प्राप्त है तथा सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति पृष्ठNode# 79/टि0 पर दिनांक-19/06/2026 को प्राप्त है।

8 इसकी सूचना उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना एवं अन्य को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-ई 0-ग 0/1/2020-SEC-2-UDHDDEPT---77---/ पटना, दिनांक-...24.6.26...

प्रतिलिपि-उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर एवं आवास विभाग/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/संयुक्त सचिव-सह-निदेशक, बुडा, पटना/विभागीय लेखा शाखा को 02 प्रतियों में/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई 0 टी0 मैनेजर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02 एवं 03, नगर विकास एवं आवास विभाग/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।